

प्राक्कथन

मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के आयकर विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टांत वे हैं जो सितम्बर से दिसंबर 2014 के दौरान 2010 से 2014 (दिसंबर 2014 तक) तक की अवधि की नमूना जांच के दौरान देखने में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुकूल की गई है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से प्राप्त सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।